

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 मई 2020—ज्येष्ठ 2, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2020

क्र.-405-2020-लोसेप्र-पी-एस.जी-05.— मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाये हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
5.19	भवन निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करना (अवासीय)	सम्पदा अधिकारी	15 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	15 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.20	भवन निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करना (व्यावसायिक)	सम्पदा अधिकारी	15 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	10 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.21	भवन निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करना (अन्य)	सम्पदा अधिकारी	15 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	10 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.22	अधिकार प्रमाण पत्र (Possession Certificate) जारी करना	सम्पदा अधिकारी	10 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	10 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.23	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	सम्पदा अधिकारी	10 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	10 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.24	डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी करना	सम्पदा अधिकारी	10 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	10 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.25	पुनारावंटन प्रमाण पत्र जारी करना	सम्पदा अधिकारी	15 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	10 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.26	नो इयूज प्रमाण पत्र जारी करना	सम्पदा अधिकारी	10 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	07 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय

5.27	भार मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना	सम्पदा अधिकारी	10 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	07 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.28	दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदाय करना	सम्पदा अधिकारी	07 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	10 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.29	भूखंड के सीमांकन के लिए आवेदन	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	15 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.30	अधिक जमा राशि की वापसी	सम्पदा अधिकारी	15 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	10 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय
5.31	आवंटन आदेश जारी करना	सम्पदा अधिकारी	30 कार्य दिवस	उपायुक्त, गृह निर्माण	10 कार्य दिवस	मुख्य सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.